BA Part-II
History Notes

By- Dr. Durga Bhawani

Scanned with CamScanner

BA Part II History (Hons) IVth Paper.

Q. राष्ट्रीय सभा / संविधान सभा के मुख्य कार्यों का परीक्षण करें।

Ans— फ्रांस के तृतीय स्टेट ने 17 जून 1789 ई० को अपने को ~~स~~ राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। इसने सर्वप्रथम फ्रांस के लिए एक नया संविधान बनाने का काम हाथ में लियो। इसी कारण 9 जुलाई 1789 ई० में इसका नाम बदल कर संविधान सभा कर दिया गया। इसकी अवधि 30 सितम्बर 1791 ई० तक रही। इस बीच इस के द्वारा किए गए मुख्य कार्य ~~निम्न~~ निम्नलिखित हैं।

1) **सामंती प्रथा का अंत** — इस सभा ने सबसे पहले सामंती प्रथा तथा विशेषाधिकारों का अंत किया। 4 अगस्त 1789 ई० को कुछ ऐसे कानून पास किए गए जिनके द्वारा मध्य कालीन सामंतशाही प्रथा के अवशेष समाप्त हो गए। वर्ग-विभेद समाप्त कर दिए गए तथा समाजिक समानता की स्थापना की गई। विश्व के किसी दूसरे देश में इस तरह से इतनी जल्दी सामंती-प्रथा समाप्त नहीं हुई थी।

2) **मानव के आधारभूत अधिकारों की घोषणा** — इस सभा का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था मानव के आधारभूत अधिकारों एवं स्वतंत्रता की घोषणा करना। 26 अगस्त 1789 ई० को इसकी घोषणा की गई। यह ~~र~~ रूसो के सिद्धांतों पर आधारित थी एवं उसमें 17 अनुच्छेद थे। उसमें स्वतंत्रता का अर्थ बताया गया— स्वेच्छा से ऐसा काम करना जिससे दूसरे की हानि न हो। इस तरह सभा ने नवीन संविधान के आधारभूत सिद्धांतों, स्वतंत्रता, समानता, एवं भ्रातृत्व को इसमें स्थान दिया।

3) **चर्च की सम्पत्ति जब्त** — फ्रांसीसी चर्च के पास देश की कुल भूमि का 1/5 वाँ हिस्सा था। चर्च काफी धनी संस्था थी। उसके पास इतना अधिक धन था कि उससे सम्पूर्ण देश का कर्ज चुकता हो जाता। उस समय देश की आर्थिक अवस्था भी काफी बिगड़ चुकी थी। अतः इसमें सुधार

my companion

Scanned with CamScanner

लाने के उद्देश्य को 2 नवम्बर 1789 को एक प्रस्ताव पास कर चर्च की सम्पत्ति जब्त कर ली गई और उसके बदले उन्हें एक प्रकार की कागज की मुद्रा दी गई तथा बाद में उसे भी समाप्त कर दिया गया।

4) **पादरियों के लिए लौकिक संविधान** – सभा ने जुलाई 1790 ई० को पादरियों के लिए सिविल (असैनिक संविधान) Civil Constitution of the clergy का निर्माण किया। इसके अनुसार धार्मिक दृष्टिकोण से फ्रांस को भागों में बांटा गया तथा प्रत्येक भाग में केवल एक ही बिशप की व्यवस्था की गई। धार्मिक पदाधिकारियों को वेतन राज्य द्वारा देने की व्यवस्था की गई। पादरियों तथा बिशपों का निर्वाचन जनता द्वारा करने की व्यवस्था की गई। पुनः नवम्बर 1790 ई० यह निर्णय किया कि फ्रांस के धार्मिक पादरियों को इस संविधान को ग्रहण करने की शपथ उठानी पड़ेगी। जिन्होंने शपथ ली वे Juring clergy कहलाए और जिन्होंने शपथ नहीं ली वे Non-Juring clergy कहलाए।

उस समय फ्रांस में मठों की संख्या काफी अधिक हो गई थी जिसमें भिक्षु एवं भिक्षुणियां रहा करते थे। वे भोग विलास में लिप्त रहते थे। अतः 6 फरवरी 1791 ई० को सभा ने एक प्रस्ताव द्वारा मठों का अंत कर दिया और भिक्षु एवं भिक्षुणियों को सांसारिक जीवन बिताने को कहा गया साथ ही नए भिक्षु-भिक्षुणी बनने पर प्रतिबंध लगा दी गई।

5) **संविधान सभा का निर्माण** – सभा ने फ्रांस के लिए एक लिखित संविधान का निर्माण किया। यह फ्रांस तथा यूरोप का पहला लिखित संविधान था। 6 जुलाई 1789 ई० को सभा ने संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक समिति गठित की थी जिसने 30 सितम्बर 1789 ई० को अपना कार्य पूरा किया। इस संविधान में जनता की संप्रभुता तथा शक्तियों के प्रकरण में दो मुख्य बातें थीं –

A) — इस संविधान के अनुसार फ्रांस में नियंत्रित राजतंत्र कायम किया गया। यद्यपि शासन का प्रतीक राजा ही था, लेकिन उसके अधिकारों को समाप्त कर दिया गया तथा उसे भी कानून की परिधि के अन्दर रखा गया। यहाँ तक कि उसके व्यक्तिगत सम्पत्ति को राष्ट्रीय घोषित कर दिया गया। इस प्रकार राजा की स्थिति मात्र संवैधानिक प्रधान ही रह गयी थी।

B) — देश में कानून बनाने के लिए एक सदन वाली व्यवस्थापिका का निर्माण किया गया। जिसके सदस्यों की संख्या 745 थी। इसकी अवधि 2 वर्षों की थी। कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार इसका सदस्य नहीं हो सकता था। यह संस्था राजा पर नियंत्रण रखती थी। राजा इसे भंग नहीं कर सकता था। यह युद्ध, संधि, विदेश नीति के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था थी।

नए संविधान के अनुसार न्याय के क्षेत्र में पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर नए ढंग से पुनर्गठन किया गया। पुराने न्यायालयों को समाप्त कर केन्द्र तथा प्रांतों के लिए अलग न्यायालय स्थापित किए गए।

जूरी प्रथा का प्रचलन शुरु किया गया। न्यायधीशों पर राजा ~~का~~ या व्यवस्थापिका का कोई भी नियंत्रण नहीं रहा। शुरु में जजों का निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता था लेकिन बाद में यह व्यवस्था दोषपूर्ण साबित हुई अतः बाद में निर्वाचन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। मुद्रित-पत्रों का प्रचलन बंद कर दिया गया तथा अपराधियों के साथ अमानवीय व्यवहार पर रोक लगा दिया गया।

6) **प्रशासनिक सुधार** — सभा ने सम्पूर्ण फ्रांस के लिए एकरूप शासन की व्यवस्था की। फ्रांस के पुराने विभाजन को रद्द कर सम्पूर्ण देश को 83 प्रांतों में, प्रांतों को 374 जिलों में तथा जिलों को 44000 कम्यूनों में बाँट दिया गया।

प्रत्येक प्रांत के शासन के लिए निर्वाचित परिषद् हुआ करती थी।

7) **कर व्यवस्था में सुधार—** सभा ने स्टाम्प ड्यूटी को छोड़ कर पुराने सभी कर हटा दिए। अब नए तरह से कर लगाए गए, जो सबों पर समान रूप से था। तीन प्रत्यक्ष कर थे — भूमिकर, सम्पत्ति कर तथा व्यापार और उद्योग पर कर। पदों की बिक्री बंद कर दी गई। पत्र-मुद्रा जारी की गई।

8) **सेना में सुधार—** सेना में कई अभोंगी सुधार किए गए। पदोन्नति के नियम बनाए गए, पदों की नीलामी बंद कर दी गई। अब साधारण व्यक्ति भी अपनी योग्यता के बल पर सेना में उच्च पद प्राप्त कर सकता था।

9) **प्रतिनिषेधात्मक प्रस्ताव —** 30 सितम्बर 1791 ई० को संविधान सभा ने यह प्रस्ताव पास किया कि इस सभा का कोई सदस्य आगामी व्यवस्थापिका सभा या मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं बनेगा। सभा ने अपने अंतिम प्रस्ताव द्वारा अपने-आप को समाप्त कर लिया। उसी दिन यानि 30 सितम्बर 1791 ई० को संविधान सभा भंग हो गई।

इस प्रकार लगभग 2 वर्षों की छोटी सी अवधि में ही संविधान सभा ने कई महत्वपूर्ण काम किया और फ्रांस की दशा बिल्कुल बदल दी।

—x—